राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:- एफ 33(1)खा.वि./प्रोक्यो/आरएमएस/2026 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

संशोधित दिशा-निर्देश

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03/02/2026 द्वारा जारी रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश के बिंदु संख्या 04 "तुलाई की दिनांक" की निरंतरता में पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में निम्नांकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है: -

1. रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु पंजीकृत किसानों को गेहूँ फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग का विकल्प राज्य खाद्यान्न खरीद पोर्टल (https://food.rajasthan.gov.in) पर दिनांक 25/06/2026 तक उपलब्ध रहेगा |
2. यदि किसान तुलाई हेतु स्वयं द्वारा ली गयी स्लॉट बुकिंग दिनांक से भिन्न दिनांक चाहता है, तो वह नवीन दिनांक के लिए पुनः स्लॉट बुकिंग कर सकता है |
3. तुलाई दिनांक का आवंटन क्रय केन्द्र की प्रतिदिन क्रय क्षमता के अनुरूप किया जावेगा |
4. किसान को तुलाई दिनांक की जानकारी के सम्बन्ध में एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाएगा |

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है |

शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे |

Sd/-

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ/RSWC, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक (आईटी), NIC प्रकोष्ठ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड/NCCF, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी।

Document certified by POONAM PRASAD SAGAR <AFCFOOD-RJ@NIC.IN>.

Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date :16-03-2026 10:52:39

RajKaj Ref No.: 21049512

eSign DSC